E-ISSN: 2664-603X
P-ISSN: 2664-6021
IJPSG 2023; 5(2): 257-258
www.journalofpoliticalscience.com
Received: 05-10-2023
Accepted: 02-11-2023

डॉ. सुमन शेखावत
प्राचार्य, भारत कॉलेज, रामपुरा, डाबडी, जयपुर, राजस्थान, भारत।

Corresponding Author:
डॉ. सुमन शेखावत
प्राचार्य, भारत कॉलेज, रामपुरा, डाबडी, जयपुर, राजस्थान, भारत।

पंचायतीराज में महिलाओं की भूमिका

डॉ. सुमन शेखावत

सारांश
''मानव ईश्वर की सर्वोत्तम रचना है और मानव समाज की यह विकास श्रृंखला स्त्री और पुरूष रूपी संसार सागर के उतार चढावों से गुजरती रही है। आज की दुनियाँ में पुरूषों के साथ–साथ महिलायें भी निश्चित रूप से जागरूक हुई है और अपनी पृथक पहचान हासिल करने में सफल हो रही है। महिलाओं की इस पृथक पहचान में पंचायतीराज–व्यवस्था का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पंचायतीराज संस्थाओं में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने से भी परिणाम सकारात्मक आये है तथा महिलाओं की स्थिति पहले की अपेक्षा सुदृढ़ बन पाई है। हमारे संविधान में इस बात की गारन्टी भी दी गई है कि सार्वजनिक नियुक्तियों में पुरूष एवं स्त्रियों बीच समानता बरती जायेगी तथा प्रत्येक नागरिक का यह भूतपूर्व कर्त्तव्य बताया गया है कि वह महिलाओं की गरिमा के प्रतिकूल पद्वतियों का त्याग करें। संविधान में उल्लेखित प्रावधानों से कुछ हद तक पुरूषों की संकीर्ण मानसिकता में परिवर्तन आया है तथा महिला शिक्षा, लैगिंक समानता जैसे विषयों के क्रियान्वयन की प्राथमिकता को स्वीकार किया जाने लगा है और महिलाओं में नवीन चेतना, नया सामर्थ्य एवं आत्मविश्वास बढ़ा है तथा महिला सशक्तीकरण की प्रक्रिया मजबूत हुई है।

मूल शब्दः महिला जागरूकता, पंचायतीराज सांविधानिक प्रावधान, समाज की मानसिकता में बदलाव, महिला सशक्तीकरण को प्रोत्साहन

प्रस्तावना
मानव ईश्वर की सर्वोत्तम रचना है और मानव समाज की यह विकास श्रृंखला स्त्री एवं पुरूष रूपी संसार सागर के उतार–चढ़ावों से गुजरती रही है।
इक्कीसवी सदी में प्रवेश कर चुकी आज की दुनियों में पुरूषों के साथ–साथ महिलायें भी निश्चित रूप से जागरूक हुई और अपनी पृथक पहचान हासिंल करने में सफल हो रही है। समाज में महिलाओं को प्राप्त सामाजिक राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक प्रगति में पंचायतीराज व्यवस्था की अहम् भूमिका रही है।
पंचायतीराज की स्थापना का मुख्य उद्वेश्य ग्रामीण जीवन का संर्वागीण विकास करना है तथा बुनियादी विकास के मुददे महिलाओं से ज्यादा करीब होते है ऐसे में वे उन्हें ज्यादा अच्छी तरह समझ सकती है और बेहतर दिशा दे सकती है।
महिलाओं को ना केवल आर्थिक विकास में समान भागीदार बनाने पर बल दिया जा रहा है अपितु उन्हें प्रत्येक मोर्चे पर 'समान' समझने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। इसके साथ–साथ महिलाओं की पुरूषों के समान राजनीतिक–सहभागिता का प्रश्न भी विश्व की आधुनिक सभ्यता का सर्वप्रिय चर्चित विषय है।

सांविधानिक प्रयास :– महिलाओं को अधिकार देने की अवधारणा भारत जैसे विकासशील समुदायों में अधिक लोकप्रिय है। भारत में संविधान लागू होते ही महिलाओं को समान राजनीतिक –अधिकार एवं नागरिक स्वतन्त्रता प्रदान की गई।
यह सर्वविदित है कि देश के समग्र एवं सन्तुलित विकास के लिये महिलाओं की सक्रिय भागीदारी एवं सशक्तीकरण अत्यन्त आवश्यक है। जैसा कि राष्ट्र प्रणेता स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि ''जिस प्रकार एक पंख से चिड़िया उड़ान नहीं भर सकती है, उसी प्रकार बिना महिलाओं की सहभागिता के कोई राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता है।''
कुछ ऐसे ही विचार स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधीजी ने व्यक्त किये। उन्होनें महिलाओं की समस्याओं को अधिक यथार्थवादी ढंग से आंका। श्रीमती गांधी ने था कि कहा था कि –
''मैं चाहती हूँ कि हमारी स्त्रियों के साथ मनुष्यों जैसा व्यवहार किया जावें। वे देवियां बनना नहीं चाहती लेकिन उन्हें अपनी प्रतिभा और क्षमताओं के विकास के लिए पूरे अवसर दिए जाएँ ताकि वे इसका उपयोग राष्ट्र की सेवा के लिए कर सके।''

हमारे संविधान में इस बात की गारन्टी भी दी गई है कि सार्वजनिक–नियुक्तियों में समानता बरती जायेगी और साथ ही प्रत्येक नागरिक का यह भूतपूर्व कर्त्तव्य बताया गया है कि वह महिलाओं को गरिमा के प्रतिकूल पद्वतियों का त्याग करें।
इसी भावना को ध्यान में रखते हुए संविधान की प्रस्तावना में भी देश के समस्त नागरिकों वे चाहे स्त्री हो या पुरूष समान अधिकार और सुविधाएं देने का उद्वेश्य निर्धारित किया गया है।
यदि राजस्थान की बात की जाये तो स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए अलग से प्रावधान किया गया है। यहां बच्चों के संर्वागीण विकास तथा उनकी माताओं के बेहतर जीवन की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिये 1985 में महिला एवं बाल विकास विभाग भी गठित किया गया जिसके अन्तर्गत निम्नांकित कार्यक्रमों को आरंभ किया गया :–

- समेकित बाल विकास सेवायें (आर.सी.डी.एस.)
- महिला विकास कार्यक्रम
- विधवा तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिए नई सुविधायें
- महिला छात्रवृत्तियाँ
- अनुदान कार्यक्रम
- महिला उधमियों के लिए विशेष अनुदान योजनाएँ आदि।

किन्तु इसके बावजूद राजनीति में महिलाओं की सहभागिता न्यून दर्ज की गई।
इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए महिलाओं से सम्बन्धित राष्ट्रीय समिति की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि ''संख्या की दृष्टि से महिलाएँ अल्पसंख्यक नहीं मानी जा सकती परन्तु स्थिति एवं राजनीतिक शक्ति में असमानता के कारण उनमें अल्पसंख्यकों के लक्षण बढते जा रहा है।
इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने तथा उनको समान अवसर प्रदान करने के लिये स्थानीय शासन –व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी की अनुशंषा की।

पंचायतीराज में महिला आरक्षण का प्रावधान

महिला राष्ट्रीय समिति के सुझावों को दृष्टिगत रखते हुए ही महिलाओं की अधिकाधिक प्रस्थिति के संवर्धन, उनके सामाजिक एंव पारिवारिक जीवन–स्तर को सुधारने तथा राजनैतिक जागरूकता में वृद्वि करने हतु सरकार ने अप्रैल 1993 में 73वें – संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायतीराज व्यवस्था में महिलाओं को 1/3 (एक तिहाई) आरक्षण प्रदान किया ।
वर्ष 2009 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मत्रिमंडल ने यह निर्णय लिया कि देश के संविधान के अनुच्छेद 243(डी) में संशोधन हेतु विधयेक पारित करके पंचायतीराज–संस्थाओं में महिलाओं को न्यूनतम 50 प्रतिशत आरक्षण दिया जायेगा। जो पहले 33 प्रतिशत था।
बिहार, उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश, मध्यप्रदेश एवं राजस्थान में पंचायतीराज व्यवस्था में महिलाओं के लिये 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया जा चुका है।
पंचायतीराज–व्यवस्था में आरक्षण रूपी कवच की प्राप्ति होने के कारण महिलाओं में राजनैतिक चेतना, राजनैतिक जागृति तथा राजनैतिक सहभागिता का सूत्रपात हुआ है। महिलाओं की इस भागीदारी से–उनके सामाजिक–आर्थिक–स्तर, सम्मान एवं प्रतिष्ठा में अप्रत्याशित बढोतरी दर्ज की गई है । पुरूष भी महिलाओं की योग्यता, क्षमता एवं अनुभव का लोहा मानने लगे है।
कुछ हद तक पुरूषों की संर्कीण मानसिकता में परिवर्तन भी आया है। जिससे महिला शिक्षा, बालिका शिक्षा एवं लैंगिक समानता जैसे विषयों के क्रियान्यवयन की प्राथमिकता को स्वीकार किया जाने लगा है।
उपरोक्त सकारात्मक बदलावों से महिलाओं में नवीन चेतना, नया सामर्थ्य एवं आत्मविश्वास बढ़ा है और महिला सशक्तीकरण की प्रक्रिया मजबूत हुई है। सत्ता संचालन में महिलाओं के पदार्पण की वजह से पंचायतीराज–व्यवस्था भी सुदृढ हुई।

बाधाएँ एवं चुनौतियाँ

पंचायतीराज में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के अनेक सामाजिक एवं सांविधानिक प्रयासों के बावजूद भी निरक्षरता, दोहरे सामाजिक–मूल्य, आर्थिक–पिछड़ापन, पारम्परिक सामाजिक –पृष्ठभूमि, पर्याप्त जानकारी का अभाव आदि के कारण महिलाओं की राजनीति में प्रभावी सहभागिता सुनिश्चित नहीं हो पा रही है।

इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए

यह आवश्यक है कि निरक्षर निर्वाचित महिलाओं के शिक्षण–प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था का प्रावधान किया जाये। महिलाओं में आत्मविश्वास एवं आत्म गौरव जैसी भावनाओं के विकास के लिये ''व्यक्तित्व विकास'' के शिविर लगाये जावें।
महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया जावें ताकि उनमें आत्मविश्वास, जागरूकता, तर्क–वितर्क शक्ति का विकास हो सके और वे सही मायने में अपने अधिकारों सामर्थ्य एवं शक्ति का प्रयोग कर सके। ऐसा करने से समाज में घरेलू हिंसा प्रताड़ना एवं शोषण को नियमित करना भी संभव हो पायेगा।
इसी सन्दर्भ में सच ही कहा है कि :– ''सघन, वन और अन्धेरा मूक निमन्त्रण छलना है, अरे कहाँ विश्वास अभी तो, बहुत दूर तक चलना है।''

सन्दर्भ

1. डॉ. श्रीनाथ शर्मा व डॉ. मनोज कुमार सिंह. पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास आदित्य पब्लिशर्स (बीना–म.9) 2000 पृ.स. 17.
2. रजनी कोठारी. ''पंचायतीराज रीअसेस्मेण्ट ''इकॉनामिक एण्ड पोलिटिकल वीकली मई 13,1965 पृ. 758.
3. डॉ. चतुर्वेदी गीता. वीमन एडमिनिस्टरर्स ऑफ इण्डिया 1985.
4. श्री वर्मा सुधीर, वीमन्स स्ट्रगल और पॉलिटिक्ल स्पेस, 1997.
5. डॉ. राठौड अमर सिंह. ग्रामीण विकास व महिलाएं, राजस्थान विकास अक्टुम्बर 1989 पृ. 22 व 23.
6. कुमार, डॉ अभय, गांधीजी की ग्रामीण विकास की अवधाराणा योजना, 15 अक्टूबर,1992.
7. उपर्युक्त पृ.स. 27.
8. सिंह. होशियार, कुरूक्षेत्र अक्टूबर 2006.
9. गाधीजी की स्वराज की अवधारण पृ.स. 21.